

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 11, शक 1942

## सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्र.-एफ-3-07-2020-छब्बीस-1.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन, दिव्यांगजन के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु, समिति एतद्द्वारा, अनुसूची-1 में विहित जल संसाधन विभाग की स्थापना में, अनुसूची-2 में विहित विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है.

अनुसूची - 1

(1) जल संसाधन विभाग

## अनुसूची - 2

## निशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

## विभाग : जल संसाधन विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निशक्त जन के लिये चिन्हांकित कुल पद (06 प्रतिशत के अनुसार)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	अभ्युक्ति
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त व्यक्ति, बीनापन, एसिड अर्टिक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी, बहुविकलांगता (1.5 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	सहायक यंत्री (सिविल)	597	597	36	09	09	09	09	36	
	सहायक यंत्री (विद्युत) यंत्री	58	58	03	00	01	01	01	03	
	कुल	655	655	39	09	10	10	10	39	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बूढासिंह इवने, उपसचिव

Bhopal, the 2nd December 2020

No.F-3-07-2020-XXVI-1.- In exercise of the powers conferred by Section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016), for the identification of the posts for the disable persons, under the provisions of Rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disability Rules, 2017, the committee, hereby, identifies the posts reserved for the Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule 2 in the establishment of Water Resource Department prescribed in Schedule-1.

**Schedule - 1**

(1) Water Resource Department

**Schedule - 2****Identification of Posts for the Disabled****Department - Water Resource Department**

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and no.				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Second	Assistant Engineer (Civil)	597	597	36	09	09	09	09	36	
	Assistant Engineer (Electrical)	58	58	03	00	01	01	01	03	
	Total	655	655	39	09	10	10	10	39	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BUTA SINGHEVNE, Dy. Secy.